राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद

सर्वपल्ली डॉ. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, ब्लॉक नं.–5,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302017

फोन : 0141–2700366 E-mail : rajssa_acctt@yahoo.co.in

क्रमांकः प.7 ( )रा.स्कू.शिप/लेखा/भुगतान/2021–22/843 दिनांकः 29/09/2021

जिला परियोजना समन्वयक/
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा,
समस्त जिले।

विषय : वित्त मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार तथा वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार परिषद द्वारा समग्र शिक्षा का सिंगल नोडल अकाउन्ट (SNA) खुल जाने से जिला, ब्लॉक एवं विद्यालय आदि इम्प्लीमेन्टिग एजेन्सिज (IA's) के जीरो बैलेंस सब्सिडरी खाते खोले जाकर योजना एवं खातों की पी.एफ.एम.एस. पर मैपिंग कराते हुए लॉगिन आई.डी. सृजित कराने बाबत दिशा–निर्देश।

सन्दर्भ : वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के ऑफिस मेमोरेण्डम क्रमांक F. No. 1 (13)PFMS/FCD/2020 दिनांक 23.03.2021, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अ. शा. पत्र क्रमांक D.O.No.4-4/2021-IS.2 दिनांक 24.05.2021 एवं वित्त (मार्गोपाय) विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 1 (22)वि.मा/2021 दिनांक 26.08.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राशि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में वित्त (व्यय) विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी नवीन प्रक्रिया के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु प्रदत्त निर्देश तथा वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश की अनुपालना में परिषद द्वारा समग्र शिक्षा का सिंगल नोडल अकाउन्ट (SNA) खाता सं. 40469910973 भारतीय स्टेट बैंक, शाखा गांधी नगर, जयपुर (IFSC Code : SBIN0031383) में दिनांक 27.09.2021 को खुलवा लिया गया है।

वित्त (मार्गोपाय) विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 1 (22)वि.मा/2021 दिनांक 26.08.2021 द्वारा सिंगल नोडल अकाउन्ट (SNA) खोले जाने के पश्चात निम्न कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देश प्रदान किये गये हैं :–

- केन्द्रीय प्रवर्तित योजना समग्र शिक्षा का SNA बैंक खाता परिषद स्तर पर दिनांक 27.09.2021 को खोला जा चुका है। इसके जीरो बैलेंस सब्सिडरी खाते खोले जाकर योजना एवं खातों की मैपिंग PFMS राज्य निदेशालय, जयपुर के सहयोग से PFMS पर पंजीकृत कराकर अपनी login id सृजित करायेंगे। SNA खाते एवं इसके जीरो बैलेंस सब्सिडरी खातों (IA Accounts) की सूचना परिषद को प्रेषित करेंगे ताकि सम्बन्धित मंत्रालय CSS योजनाओं की राशि को त्वरित रिलीज करें।
- योजना में SNA से IA's हेतु Limits जारी करना, भुगतान/Transfer का दिन प्रतिदिन की Monitoring परिषद द्वारा की जायेगी एवं IFMS व PFMS का Integration सुनिश्चित किया जावेगा। NIC एवं PFMS निदेशालय की जयपुर स्थित टीम से Technical पहलुओं के लिए सम्पर्क करना सुनिश्चित करें। परिषद के HOD एवं वरिष्ठतम लेखा अधिकारी द्वारा इसे सुनिश्चित किया जाए।

- परिषद स्तर पर Credit Limits जारी करना तथा भुगतान/Transfer का दिन प्रतिदिन का Monitoring की प्रणाली लिखित रूप से रखी जावे, जो कि संबंधित विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी द्वारा निरीक्षण की जाए।
- परिषद स्तर पर किसी भी परिस्थिति में एक CSS/CA के लिए एक से अधिक SNA नहीं होगा तथा योजना की राशि अन्य किसी बैंक खाते या IA's में खाते में हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
- परिषद स्तर पर SNA का बैंक परिवर्तन की स्थिति में पूर्व SNA व IA's का Reconciliation कराते हुए राशि हस्तान्तरण नए SNA में कराऐंगे/इसकी लिखित में सूचना वित्त विभाग व अन्य सम्बन्धित को देगे।
- SNA बैंक से प्रतिदिन के आधार पर MIS व अन्य सूचनाएं ऑन लाईन IFMS/PFMS Dashboard पर प्रत्येक स्तर (परिषद, जिला, ब्लॉक व विद्यालय आदि) प्राप्त की जाऐंगी।
- वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी SOP में राज्य सरकार के IFMS से PFMS Integration की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः प्रत्येक SNA खाता परिषद द्वारा NIC के माध्यम से IFMS पर लिंक कराया जाना आवश्यक होगा।
- परिषद स्तर पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी केन्द्रांश को SNA में हस्तान्तरण हेतु पत्रावली पर प्रस्ताव विभाग द्वारा वित्त (व्यय) विभाग को प्रेषित किए जायेंगे तथा सहमति उपरान्त प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर वित्त (बजट) विभाग वित्तीय स्वीकृति जारी कराकर राशि बैंक खाते में हस्तान्तरित की जायेगी।
- PFMS पर कार्य करने का Hands on प्रशिक्षण राज्य PFMS निदेशालय, NIC व वित्त विभाग द्वारा आयोजित कराया जाऐगा, जिसमें सूचनाएं संग्रहण, मेपिंग व संचालन का प्रशिक्षण दिया जाऐगा। इस बाबत Helpline की सूचना भी शीघ्र उपलब्ध कराई जाऐगी।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के ऑफिस मेमोरेण्डम क्रमांक F. No. 1 (13)PFMS/FCD/2020 दिनांक 23.03.2021 के बिन्दु संख्या–13 में परिषद का सिंगल नोडल अकाउन्ट (SNA) खोले जाने के पश्चात तथा जिला, ब्लॉक एवं विद्यालय आदि इम्प्लीमेन्टिग एजेन्सियों (IA's) के जीरो बैलेंस सब्सिडरी खाते खोले जाने से पूर्व निम्न कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं :–

- After opening of Single Nodal Account of the scheme and before opening zero balance subsidiary account of IAs or assigning them drawing rights from SNA's account, the IAs at all levels shall return all unspent amounts lying in their accounts to the Single Nodal Account of the SNA.

- It will be the responsibility of the RCScE concerned to ensure that the entire unspent amount is returned by all the IAs to the Single Nodal Account of the SNA concerned.

- For this, the RCScE will work out the modalities and the timelines and will work out Central and state share in the amount so available with IAs.

➢ RCScE(SNAs) will keep a record of unspent balance lying in the account of IAs and the amount refunded by IAs.

समस्त जिला कार्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले में स्थित सभी इम्प्लीमेन्टिग एजेन्सिज (IA's) के स्तर से उपरोक्तानुसार वांछित समग्र शिक्षा की दिनांक 10.10.2021 तक की Unspent Balance की सूचना तैयार कर दिनांक 14.10.2021 तक ई–मेल (rajssa_acctt@yahoo.co.in) से भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

समग्र शिक्षा की Unspent Balance की सूचना निम्न प्रारूप में प्रेषित करावें :–

क्र. सं.	इम्प्लीमेन्टिग एजेन्सिज (IA's) का नाम (जिला, ब्लॉक व विद्यालय)	UDISE Code (विद्यालय हेतु)	समग्र शिक्षा दिनांक 10.10.2021 तक की Unspent Balance (राशि रूपये में)		
			बैंक खाता में उपलब्ध राशि	पी.डी. खाते में उपलब्ध राशि	योग
1	2	3	4	5	6

उक्त राशियों में राज्य मदों में योजनाओं की Unspent Balance (यथा मॉडल स्कूल, नाबार्ड, मुख्यमंत्री जनसहभागिता, डी.एम.एफ.टी. एम.एल.ए. एम.पी. फण्ड आदि) शामिल नहीं किया जावें।

राज्य परियोजना निदेशक
रा.स्कू.शि.प., जयपुर

क्रमांकः प.7 ( )रा.स्कू.शिप/लेखा/भुगतान/2021–22/844 दिनांकः 29/09/2021
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–
(1) निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार।
(2) निजी सचिव, संयुक्त सचिव (एसएस–II), शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार।
(3) निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान सरकार।
(4) निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, रा.स्कू.शि.प., जयपुर।
(5) निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान सरकार।
(6) निदेशक, कोष एवं लेखा, वित्त भवन, जयपुर
(7) मुख्य महाप्रबन्धक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, भारतीय स्टेट बैंक, जयपुर।
(8) अति. राज्य परियोजना निदेशक (प्रथम/द्वितीय), रा.स्कू.शि.प., जयपुर।
(9) वित्तीय सलाहकार, रा.स्कू.शि.प., जयपुर।
(10) वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, NIC, शासन सचिवालय, जयपुर।
(11) वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, IFMS, वित्त भवन, जयपुर
(12) वरिष्ठ लेखाधिकारी, PFMS राज्य निदेशालय, विद्याधर नगर, जयपुर।
(13) मुख्य प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा, गांधी नगर, जयपुर।
(14) रक्षित पत्रावली।

राज्य परियोजना निदेशक
रा.स्कू.शि.प., जयपुर